पटना में दिनांक–12 अगस्त, 2014 मंगलवार को अपराह्न 05:00 बजे से हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही। मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की।

निम्नलिखित निर्णय लिये गये :–

पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

1. वर्ष 2014–15 में गैर योजना मद में संचालित अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय+2 उच्च विद्यालयों के आवासियों की दैनिक आवश्यकता यथा–भोजन, वस्त्र, दवा इत्यादि तथा संस्थान के रख–रखाव हेतु आवश्यक सामग्रियों के प्रावधानों में संशोधन एवं दर वृद्धि पर मंत्रिपरिषद् के अनुमोदन का प्रस्ताव। — 1. स्वीकृत।

वित्त विभाग

2. बिहार सेवा संहिता के नियम–21 के परिशिष्ट–3 में घोषित विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष की सूची में निदेशक, बिहार न्यायिक अकादमी एवं नागरिक सुरक्षा आयुक्त, आपदा प्रबंधन विभाग का नाम सम्मिलित करने के संबंध में। — 2. स्वीकृत।

स्वास्थ्य विभाग

3. श्री अरूण कुमार, निलंबित औषधि निरीक्षक, मुजफ्फरपुर को सेवा से बर्खास्त करने का प्रस्ताव। — 3. स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

4. वित्तीय वर्ष 2014–15 में राज्य योजनान्तर्गत बाबासाहेब भीमराव अम्बेदकर बिहार विश्वविद्यालय के कम्प्यूटरीकरण हेतु कुल रूपये 52,00,000/–(बावन लाख) मात्र एवं स्नातकोत्तर रसायनशास्त्र विभाग के प्रयोगशाला के उन्नयन हेतु रू० 1,23,12,000/–(एक करोड़ तेइस लाख बारह हजार) मात्र अर्थात कुल रूपये 1,75,12,000/–(एक करोड़ पचहत्तर लाख बारह हजार) मात्र सहायक अनुदान व्यय की स्वीकृति। — 4. स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

5. राज्य योजनान्तर्गत राज्य के कुल 5739 (पाँच हजार सात सौ उनचालीस) राजकीय/राजकीयकृत/ अल्पसंख्यक/ प्रोजेक्ट कन्या माध्यमिक विद्यालय, नव उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय, नव उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय एवं अनुदानित माध्यमिक विद्यालयों के छात्र–छात्राओं को मुख्यमंत्री बिहार दर्शन योजना के तहत ₹ 20000 (बीस हजार) प्रति विद्यालय की दर से वित्तीय वर्ष 2014–15 में शैक्षणिक भ्रमण हेतु ₹ 1147.80 लाख (ग्यारह करोड़ सैंतालीस लाख अस्सी हजार) के व्यय की स्वीकृति। — 5. स्वीकृत।

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

6.	बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम के माध्यम से संचालित "मुख्यमंत्री श्रम शक्ति योजना" के "मार्गनिर्देशिका" के नियम 4.4 एवं 8.2 में संशोधन की स्वीकृति के संबंध में।	**6.**	**स्वीकृत।**

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग

7.	वित्तीय वर्ष 2014–15 में गैर योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के द्वारा राज्य अनुसूचित जाति आयोग एवं राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्यों, पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों की स्थापना एवं अन्य व्यय हेतु क्रमशः ₹ 243.32 लाख (दो करोड़ तेतालीस लाख बत्तीस हजार) एवं ₹ 119.97 लाख (एक करोड़ उन्नीस लाख सन्तान्वे हजार) अर्थात् कुल ₹ 363.29 लाख (तीन करोड़ तीरसठ लाख उन्तीस हजार) मात्र की सहायक अनुदान की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति।	**7.**	**स्वीकृत।**

पंचायती राज विभाग

9.	राज्य के प्रत्येक ग्राम पंचायतों (कुल 8398 ग्राम पंचायतों) को प्रशासनिक व्यय के लिए 4000/–रू० (चार हजार रू०) की दर से कुल 3,35,92,000.00 रू० (तीन करोड़ पैंतीस लाख बानवे हजार रू० मात्र) की स्वीकृति एवं तत्काल उपलब्ध 3.00 करोड़ रू० (तीन करोड़ रू०) आवंटित करने तथा शेष 35,92,000.00 रू० (पैंतीस लाख बानवे हजार रू०) का बजट उपबंध प्राप्त होने के पश्चात् आवंटित करने की स्वीकृति।	**9.**	**स्वीकृत।**

सामान्य प्रशासन विभाग

10.	उच्च जातियों के लिए राज्य आयोग, बिहार, पटना के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यों के वेतन/भत्ते एवं सेवाशर्त्तों आदि के निर्धारण से संबंधित संकल्प संख्या–1143, दिनाक–20.04.2014 की कंडिका–2 (viii) को संशोधित करने के संबंध में।	**10.**	**स्वीकृत।**

अनु०जाति० एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग

11.	अनु०जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग के अन्तर्गत संचालित राजकीय अम्बेदकर आवासीय विद्यालयों में प्रशिक्षित शिक्षकों के पदों पर नियुक्ति, प्रोन्नति एवं सेवाशर्त्त नियमावली 2014 के अनुमोदन हेतु संलेख।	11. स्वीकृत।

सहकारिता विभाग

12.	बिहार राज्य सहकारिता विभागीय क्षेत्रीय आशुलिपिक संवर्ग (संशोधन) नियमावली–2014 के प्रारूप पर मंत्रिपरिषद् के अनुमोदन का प्रस्ताव।	12. स्वीकृत।

श्रम संसाधन विभाग

13.	गया जिले के खिजरसराय प्रखण्ड के अन्तर्गत महकार ग्राम में "नया औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना" योजनान्तर्गत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, महकार (गया) की स्थापना के संबंध में।	13. स्वीकृत।

समाज कल्याण विभाग

(सामाजिक सुरक्षा एवं निःशक्तता निदेशालय)

14.	वित्तीय वर्ष 2014–15 में गैर योजनान्तर्गत सामाजिक सुरक्षा के अधीन वस्त्र वितरण कार्यक्रम के तहत् राज्य के भूमिहीन, निर्धन, भिक्षुकों एवं असहाय के बीच धोती, साड़ी चादर (सूती) एवं कम्बल (ऊनी) वितरण हेतु 50.00 लाख (पचास लाख रूपये) मात्र के व्यय की स्वीकृति का प्रस्ताव।	14. स्वीकृत।

नगर विकास एवं आवास विभाग

15.	बिहार राज्य आवास बोर्ड द्वारा प्रस्तावित जन–निजी भागीदारी (पी०पी०पी०) आधारित परियोजनाओं में आवासीय सम्पदा की लीज अवधि को 90 वर्ष रखने के प्रावधान पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति के संबंध में।	15. स्वीकृत।

स्वास्थ्य विभाग

17.	बिहार सरकार के सेवानिवृत्त सरकारी कर्मियों एवं पदाधिकारियों को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने हेतु योजना की स्वीकृति।	17. स्वीकृत।

स्वास्थ्य विभाग

18. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के क्रियान्वयन हेतु 19 (उन्नीस) पदों का सृजन। — 18. स्वीकृत।

स्वास्थ्य विभाग

19. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अन्तर्गत राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन तथा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के कार्यान्वयन के लिए अपर मिशन निदेशक/अपर कार्यपालक निदेशक के पदों के सृजन के संबंध में। — 19. स्वीकृत।

योजना एवं विकास विभाग

20. वर्ष 2008 में कोशी आपदा से प्रभावित मधेपुरा, सुपौल एवं सहरसा जिलों के लिए बिहार कोशी बाढ़ समुत्थान परियोजना हेतु बिहार आपदा पुनर्वास एवं पुनर्निमाण सोसाईटी को ₹ 700.00 करोड़ रूपये अनुदान राशि की स्वीकृति। — 20. स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

21. वित्तीय वर्ष 2014–15 में शिक्षा विभाग के अन्तर्गत बिहार बाल भवन 'किलकारी' के संचालन हेतु योजना मद से वित्तीय वर्ष 2014–15 के उदव्यय से ₹ 237.71 लाख सहायक अनुदान की स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष 2013–14 की अवशेष राशि ₹ 32.29 लाख के व्यय की अनुमति अर्थात कुल ₹ 270.00 लाख (आवर्ती ₹ 160.10 लाख तथा अनावर्ती ₹ 109.90 लाख) व्यय की स्वीकृति। — 21. स्वीकृत।

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

22. उद्योग संबंधी मंत्रिपरिषदीय समिति का गठन। — 22. स्वीकृत।

संसदीय कार्य विभाग

23. पंचदश बिहार विधान सभा का चतुर्दश सत्र तथा बिहार विधान परिषद् के 177वें सत्र के सत्रावसान संलेख पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति के संबंध में। — 23. स्वीकृत।

ह०/–
(अंजनी कुमार सिंह)
मुख्य सचिव, बिहार